

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 3028 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 16.05.2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत माड़ मसौली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य हेतु 0.945 है० वन भूमि वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में। (प्रस्ताव संख्या-144679/2021)

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 1907/12-1 दिनांक 27.01.2025 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक- 5026/12-1 दिनांक- 01.02.2025।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा अवगत करया गया है कि पूर्व में प्रेषित पत्र में त्रुटिवश लोक निर्माण विभाग के स्थान पर ग्राम्य विकास विभाग अंकित हुआ है। उक्त विषयगत मोटर मार्ग लोक निर्माण विभाग है तथा प्रस्तावित मोटर मार्ग 0.945 है० वन भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है साथ ही बिन्दु सं० 4 से सम्बन्धित की सूचना पार्ट-1 एवं पार्ट -2 ऑन लाईन पोर्टल में अपलोड कर दी गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ की पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय

(डॉ. धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/ 05964-225234

पत्रांक: 5626 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 04 फरवरी, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत माड़ मसौली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य हेतु 0.945 हे० वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० 144679/2021)।

सन्दर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 1907/12-1 दिनांक 27.01.2025 व इस कार्यालय का पत्रांक 2132/12-1 दिनांक 25.10.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग माड़ मसौली से संगट्टा तक विस्तार कार्य परियोजना प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ द्वारा प्रस्तावित की गयी है। पूर्व में इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र से प्रेषित सूचना में त्रुटिवश लोक निर्माण विभाग के स्थान पर ग्राम्य विकास विभाग अंकित हुआ है। अतः सूचित करना है कि विषयक परियोजना हेतु प्रयोक्ता एजेंसी लोक निर्माण विभाग है व उक्त प्रस्तावित 0.945 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है।

उक्त के अतिरिक्त बिन्दु संख्या 04 की सूचना ऑनलाईन पोर्टल पार्ट-1 एवं पार्ट-2 के अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दी गयी है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।